न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00270 (149/2018) 225 आरटीएक्ट

रमेश कुमार पुत्र मलाराम जाति अहीर निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. श्योकरण पि0 मु0 पतराम जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुरेश कुमार पुत्र मलाराम जाति अहीर निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. अजय कुमार पुत्र मलाराम जाति अहीर निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा
5. पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा
6. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक
7. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा भादरा तहसील भादरा।

–रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध आदेश दिनांक 21.05.2018 उपखण्ड अधिकारी भादरा प्रकरण संख्या 35/2017 बअनवानी श्योकरण बनाम रमेश आदि

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1

श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 5

श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4

निर्णय दिनांकः– 13.06.2019

1. रेस्पोडेण्ट संख्या 1/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान कोलोनाईजेशन कण्डिशन शर्त संख्या 8 (2) सपठित धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनिय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आवेदन पत्र में चक 1 बीएचडी के मु. नं. 51 के किला नं. 8 में प्रवेश करने के लिए अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 की चक 1 बीएचडी के मु. नं. 51 के किला नं. 6 व 7 के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम एक एक बिस्वा अर्थात तीन सो तीस फिट लम्बाई एवं सवा आठ फिट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में करने एवं अप्रार्थीगण को पाबन्द करने कि वे प्रार्थी के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा या रूकावट पैदा नहीं करें का अनुतोष मांगा। उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 21.05.2018 के द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की भूमि में गलत रास्ता स्वीकृत किया है। आवेदन में अंकित किया कि अप्रार्थीगण के मु. नं. 51 के किला नं. 6 व 7 में मांगा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

था। अपीलाण्ट ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित किया था कि मु. नं. 51 के किला नं. 13, 14, 15 में प्रार्थी रेस्पोडेण्ट आवागमन करते हैं और यह रास्ता सदामत से चालू है उसी में रास्ता स्वीकृत किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने किला नं. 6, 7 में से रास्ता स्वीकृत किया है जो विधि सम्मत नहीं है। गुगल मेप में अपीलाण्ट द्वारा बताया रास्ता आज भी मौके पर चालू है। अधीनस्थ न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ते को देखे बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायलाय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत रास्ता मंजूर करने हेतु बनाये गये नियमों के नियम 69 में दिये गये प्रावधानों के कतई विपरीत होने से एवं एक पक्षीय होन से उक्त आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विचारण न्यायलाय ने विधिक भूल की हैं। रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आने जाने के लिए अन्य रास्ता मौजूद है। अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज कोलेटरल पर्पज के लिए निर्णय में सहायक दस्तावेज है। प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उक्त दस्तावेज को अभिलेख पर लिया जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2019 (1) पेज 403 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर पारित किया गया है। रिपोर्ट में स्वीकृत रास्ते के सम्बन्ध में ही प्रस्ताव दिया है और इसके अलावा कोई रास्ता आवागमन के लिए रेस्पोडेण्ट के पास उपलब्ध नहीं है। इसी कारण प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है। अपीलाण्ट को रास्ते में आई भूमि के बदले में भूमि दिये जाने का आदेश दिया गया है जिससे अपीलाण्ट के नुकसान की भरपाई हो रही है। रास्ता धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की पालना में स्वीकृत किया गया है। अपील में जो गुगल मेप प्रस्तुत किया गया है वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इस मेप में भी स्वीकृत किया गया रास्ता ही दिखाई देता है। अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी में प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित दस्तावेजात नही होने के इन्हें रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2009 आरबीजे पेज 725, 2017 (1) आरआरटी पेज 342, 2018 (2) आरआरटी पेज 1193, 2011 (3) सीसीसी पेज 355 एससी के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत गुगल मेप हे जो कोलेटरल पर्पज के लिए निर्णय में सहायक दस्तावेज मे रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। अतः प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

7. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया गया था जिसमें अप्रार्थीगण के मु. नं. 51 के किला नं. 6, 7 के दक्षिणी तरफ पूरब से पश्चिम की ओर 330 फिट लम्बा एवं सवा 8 फिट चौड़ा रास्ता स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई थी। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट ली गई जिसमें गिरदावर एवं पटवारी हल्का ने मौका रिपोर्ट तहसीलदार के माध्यम से प्रेषित की गई है एवं किला नं. 6, 7 में रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट एवं अपीलाण्ट ने जवाब पेश किया। अपीलाण्ट ने जवाब में किला नं. 51 के 6, 7 के दक्षिणी तरफ रास्ता नहीं होकर उसी मु. नं. 50 के किला नं. 13, 14, 15 उत्तरी तरफ पूर्व से पश्चिम मौके पर रास्ता सदामत से चालू होना अंकित किया है। यह भी अंकित किया कि उनके खेत में मौके पर प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता उनके किला नं. 6, 7 में नही है। मु. नं. 51 के किला नं. 6, 7 एवं 14, 15 एक दूसरे से सटे हुए हैं। मौके पर चल रहा रास्ता किला नं. 14, 15 में है या नहीं, इस मुद्दे पर अप्रार्थीगण एवं अपीलाण्ट की आपत्ति पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परीक्षण नहीं किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा गुगल मेप प्रिंट पेश किया गया है। हालांकि यह एक प्रमाणित दस्तावेज नहीं है किन्तु इस दस्तावेज को कोलेटरल पर्पज के लिए सहायक दस्तावेज के रूप में उपयोग में लिया जाना उचित प्रतीत होता है। इस गुगल मेप के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि मौके पर चल रहा रास्ता किला नं. 6, 7 में न होकर किला नं. 13, 14, 15 में स्थित है। क्यूंकि ये प्रमाणित दस्तावेज नहीं है इसलिए इस मुद्दे की मौके पर पुनः जॉच/सीमाज्ञान दोनों पक्षों की उपस्थिति में किया जाना आवश्यक है। यदि जांच के आधार पर मौके पर स्थिति रास्ता किला नं. 13, 14, 15 में पाया जावे तो तद्नुसार इस किला नं. के खातेदारान को पक्षकार बनाते हुए पुनः नियमानुसार रास्ता स्वीकृत करने की कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.05.2018 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भादरा को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौके की जांच के आधार पर मौके पर स्थित रास्ता किला नं. 13, 14, 15 में पाया जावे तो तद्नुसार इन किला नं. के खातेदारान को पक्षकार बनाते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.06.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

13/6/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official